सोलर प्लांट से फैलेगा आर्थिक उजियारा

- पांच किलोवाट पर अधिकतम एक लाख आठ हजार तक मिलेगी सब्सिडी
- प्रति किलोवाट सोलर प्लांट के लिए खर्च करने होंगे 60 हजार रुपये
- जिले में डेढ़ लाख प्लांट लगवाने का लक्ष्य, डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

जासं ● **लखनऊ :** सोलर से बिजली पैदा कर पैसे की महाबचत की जा सकती है। राजधानी में बिजली के साथ आर्थिक समृद्धि का उजियारा फैलाने के लिए इस बार डेढ़ लाख सोलर प्लांट का लक्ष्य रखा गया है। 11 हजार से अधिक कनेक्शन अब तक दिए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पांच किलोवाट तक सोलर प्लांट लगवाने के लिए अधिकतम एक लाख आठ हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने घर-घर सोलर प्लांट लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि एक किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट को लगाने में 60 हजार का खर्च आता है और प्रतिदिन चार से पांच यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। इस बिजली का उपयोग करने के साथ ही भवन स्वामी बची हुई बिजली के जरिए अपना बिल भी कम करा सकते हैं। ऐसे में तीन से चार वर्ष के भीतर ही सोलर प्लांट लगाने का पूरा खर्च बिल की बचत के रूप में निकाला जा सकता है। यही नहीं, सोलर प्लांट का 25 वर्ष तक बिना किसी लाग लपेट के बिजली उत्पादन करता रहेगा। डीएम ने कहा कि जिन घरों में नए विद्युत कनेक्शन हो रहे हैं, वहां यदि भवन स्वामी सोलर प्लांट लगाने के इच्छुक हैं तो पोस्टपेड मीटर लगाए जाए।

सोलर प्लांट पर मिलने वाला अनुदान

किलोवाट	केंद्र का अनुदान	राज्य का अनुदान
एक किलोवाट	30 हजार	15 हजार
दो किलोवाट	60 हजार	30 हजार
तीन किलोवाट	78 हजार	30 हजार
चार किलोवाट	78 हजार	30 हजार
पांच किलोवाट	78 हजार	30 हजार

परियोजना अधिकारी खुर्शीद फारूक ने बताया कि तीन किलोवाट क्षमता के प्लांट की स्थापना के लिए बैंकों से मात्र सात प्रतिशत ब्याज पर लोन भी मिल रहा है। इस तरह केवल 1800 रुपये की आसान किस्त पर तीन किलोवाट का सयंत्र लगाया जा सकता है।